13

समाज कार्य के अन्तर्गत सामुदायिक कार्य

*अर्चना दास्सी

प्रस्तावना

सामुदायिक विकास को आन्दोलन के रूप में परिभाषित किया गया था जिसकी संरचना समुदाय की सक्रिय सहभागिता की सहायता से तथा यदि यह संभव हो तो समुदाय की पहल पर सम्पूर्ण समुदाय में बेहतर जीवन-यापन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से की गई थी। सामुदायिक संगठन, समुदायों को उनके संस्थानों, संगठनों, समूहों, नेताओं, सलाहकारों तथा स्वयं-सेवकों के माध्यम से संगठित किये जाने की एक प्रक्रिया है।

यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत वे समुदाय जिन में सहवासी निवास कर रहे हैं तथा हाशिए पर अथवा गरीबी रेखा पर गुजर-बसर कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को चिन्हित करते हैं, परिवर्तन का सृजन है तथा निर्णय लेने के संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करने तथा उनकी जीवन-शैली में सुधार लाये जाने हेतु कार्य करते हैं, जिससे उनकी जीवन-शैली पर प्रभाव पड़ता है। इस भाग में आपको सामुदायिक विकास तथा संगठन के संबंध में बुनियादी जानकारी दी जाएगी।

पश्चिमी देशों तथा भारत वर्ष में सामुदायिक कार्य के विकास का इतिहास

मानवीय दृष्टिकोण से यदि देखें तो किसी सामुदायिक संगठन द्वारा समुदाय की समस्याओं का हल करना उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं समाज है। परन्तु, समाज कार्य व्यवसाय की एक विधि की दृष्टि से देखें तो इसका विकास हाल ही के वर्षों में हुआ है।

उन्नीसवीं शताब्दी सामाजिक कल्याण हेतु सामुदायिक संगठन स्तर पर प्रथम प्रयास ब्रिटेन में अत्यधिक गरीबी, जोकि भिक्षावृत्ति का एक कारण बनती थी, के

* *डॉ. अर्चना दास्सी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली*

उन्मूलन हेतु किये गये। इस प्रकार लंदन सोसाईटी फॉर आर्गेनाईजिंग चैरिटेबल रिलीफ एण्ड रिप्रेसिंग मेंडेकेन्सी नामक संस्था की स्थापना की गईं। इस संस्था के कार्य निर्धन वर्ग को संगठित करना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु धनराशि का संग्रहण करना तथा शिक्षा के माध्यम से नैतिक सदाचार से परिपूर्ण जीवनयापन करना तथा उन्हें ब्रिटिश समाज में आत्मसात करना थे।

व्यवस्थापन गृह आन्दोलन (Settlement House Movement) को वर्ष 1880 के दौरान इंग्लैंड में प्रारंभ किया गया था। ये गृह ऐसे निर्धन ग्रामीणों की आवश्यकताओं की आपूर्ति करते थे जो समूहों में शहरों की ओर गमन करते थे। प्रोफेसर तथा विद्यार्थी वर्ग अपने घरों को छोड़कर बेहतर पड़ोस के लिये ऐसे क्षेत्रों में जाकर निवास करते थे जिनमें कामगार वर्ग बसा हुआ था। वे स्वयं को निर्धन वर्ग के साथ चिन्हित करते थे तथा अन्ततः वे उनके प्रवक्ता बन गये। उन्होंने मलिन बस्ती के रहन-सहन के भौतिक तथा सामाजिक पहलुओं की ओर ध्यान दिया।

इन दो आन्दोलनों, यथा धर्मार्थ संगठनकारी (Organising Charity) तथा आस-पड़ोस में सेवा करने वाले (Serving Neighbourhoods) द्वारा व्यवस्थापन गृहों के माध्यम से, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अपना प्रभाव जमाया जिसने अपने निकटतम सम्पर्क इंग्लैण्ड से बनाए रखे। इस प्रकार सन् 1880 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्मार्थ तथा सहायता के क्षेत्र में युक्तियुक्त व्यवस्था लाये जाने की दृष्टि से चैरिटी आर्गेनाईजेशन सोसाइटी का प्रादुर्भाव हुआ। सन् 1873 में, आर्थिक मन्दी के कारण सृजित सामाजिक समस्याओं के एकत्रीकरण प्रयासों में आई अव्यवस्था तथा औद्योगीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से पलायन के कारण अविचारित दान, जाल-साजी तथा पुनरावृत्ति को रोके जाने हेतु परस्पर समन्वयन आवश्यक था।

व्यवस्थापन आन्दोलन (Settlement Movement), जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सन् 1886 में पहुंचा, आस-पड़ोस (Neighbourhood) पर आधारित आन्दोलन था जो यूरोप से आने वाले निर्धन आप्रवासियों की आवश्कताओं की आपूर्ति करता था। इसके अतिरिक्त, इस आन्दोलन का नेतृत्व समाज कार्यवाही में संलग्न था जिसके परिणामस्वरुप सुधार तथा सामाजिक विधान लाये गये। अतएव, इनके द्वारा आम जनता की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिये समाज में परिवर्तन लाये जाने के प्रयास किये गये।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका में सामुदायिक परिषदों की उत्पति हुई। इनका मुख्य कार्य कार्यकुशलता में वृद्धि लाना, विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करना, सेवा से संबंधित कार्यों के मानदण्ड स्थापित करना तथा संयुक्त नियोजन हेतु सदस्य संस्थाओं का नेतृत्व प्रदान करना था। बाद में, प्रथम युद्ध के कारण कई समुदायों में केन्द्रीकृत कोष संग्रहण, सेवाओं में समन्वयन तथा वित्तीय नियंत्रण को प्रोत्साहित किये जाने हेतु युद्ध कोषों (War Chests) की स्थापना की गई। इस अवधि के दौरान, सामुदायिक परिषदों तथा कोषों के नियंत्रण हेतु अधिकांश सामुदायिक संगठन व्यवसायियों को नियोजित किया गया। इसके अन्तर्गत, सामुदायिक संगठनों से उसकी सदस्य संस्थाओं के रूप में न कि सीधे समुदाय के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी। सामुदायिक संगठन में इस प्रकार के व्यावसायियों के प्रभुत्व के कारण, इस विधि की तुलना सन् 1950 के दशक में तथा सन् '60 के दशक के प्रारंभ में परस्पर सामन्जस्य, सेवाओं के मानदण्डों के उन्नयन, वित्तीय व्यवस्था के संग्रहण तथा उसके आवंटन तथा व्यय के पर्यवेक्षण के साथ की गई।

शनैः शनैः, कल्याण उत्तरदायित्व स्वैच्छिक प्रयासों से सरकारों के सार्वजनिक कल्याण विभागों को स्थानान्तरित कर दिये गये। इससे सामुदायिक संगठन के उपयोग की गति कुछ हद तक धीमी पड़ गई क्योंकि परामर्श, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन ही केवल ऐसे क्षेत्र थे जिन पर स्वैच्छिक प्रयासों को सकेन्द्रित किया जा सकता था। सामुदायिक संगठन का वृहद उपयोग और आगे समाज-कार्य व्यवसाय के वैयक्तिक कार्य अभ्यास (Case Work Practice) में संलग्न होने के कारण बाधित हो गया। तथापि, सन् '60 के दशक की शहरी नवीनीकरण परियोजनाओं व कार्यक्रमों तथा गरीबी उन्मूलन की लड़ाई ने इस वृत्त को परिपूर्ण कर दिया। व्यवसायियों द्वारा पुनः अपना ध्यान आस-पड़ोस तथा समुदायों की ओर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदान कर संकेन्द्रित किया गया।

भारतवर्ष में सामुदायिक कार्य के विकास का इतिहास

सन् 1950 के दशक से पूर्व, सामुदायिक कार्य के संबंध में गंभीरता से विचार नहीं किया गया था। परन्तु इस दशक में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वृहद शासकीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। भारत में, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रवर्तित किये जाने के साथ ही, सामुदायिक कार्य हेतु

पर्याप्त अवसर विद्यमान थे। भारत में, सामुदायिक कार्य को वृहद रूप से स्थानीय पहल को विकसित किये जाने की प्रक्रिया के रूप में, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि विकास क्षेत्रों में, सामुदायिक आवश्यकताओं हेतु उपलब्ध संसाधनों से सामन्जस्य करते हुए देखा जाता है। प्रमुख रूप से जनसामान्य को उनकी आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति तथा विद्यमान संसाधनों का लाभ उठाने पर जोर दिया जाता है।

सामुदायिक विकास को एक आन्दोलन के रूप में सम्पूर्ण समुदाय के लिये बेहतर-जीवनयापन को प्रवर्तित किये जाने के उद्देश्य से समुदाय की सक्रिय सहभागिता की सहायता से तथा यदि संभव हो तो समुदाय की पहल के रूप में परिभाषित किया गया था। मुखर्जी (1961) द्वारा सामुदायिक विकास का वर्णन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में किया गया है जिसके अनुसार जनसामान्य के प्रयास स्वयं शासकीय प्राधिकरणों से संयोजित होते हैं जिससे समुदायों की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों में सुधार आता है तथा इन समुदायों का राष्ट्र के जीवन के साथ एकीकरण किया जाता है ताकि यह राष्ट्रीय प्रगति में पूर्ण रूप से योगदान दें। सामुदायिक संगठन की परिकल्पना एक प्रगति तथा विकासशील संस्था के रूप में, उसके द्वारा प्रभावशाली ढंग से कार्य निष्पादन हेतु, निम्न उद्देश्यों को लेकर की गई थी:

1) समाज के सभी वर्गों की देखभाल करना,

2) उन्हें उद्देश्यपूर्ण कार्यों हेतु संगठित करना,

3) सुविधाविहीन वर्ग की विशेष रूप से देखभाल करना, तथा

4) विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया की देखभाल करना।

सम्पूर्ण विचारधारा का केन्द्र बिन्दु यह था कि समस्त वस्तुएं ग्रामीणों को उनके ग्राम में ही उपलब्ध हों तथा सामाजिक समस्याओं का निदान उनके समीपस्थ क्षेत्र में ही हो। भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में समाज कार्य की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त कई वर्गों के व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षण विशेषज्ञ, कृषक, वैज्ञानिक, प्रशासक, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं आदि सभी वर्ग दल का भाग थे। जिनसे एक विकास खण्ड में, जिसका समुदाय हेतु इकाई के रूप में सृजन किया गया था, कार्य करने की अपेक्षा की गई थी। भारत में, सामुदायिक कार्य का मुख्य जोर प्रमुख रूप से ग्रामोन्मुख ही रहा।

सामुदायिक कार्य का मुख्य स्वरूप सुधारवादी अथवा अधिक संघर्षवादी नहीं रहा। ऐसे कार्यक्रम जो निर्धन वर्ग को राहत प्रदान कर सकते थे, विकसित किये जाने की दृष्टि से समाज कार्यकर्ताओं द्वारा शहरी मलिन बस्तियों में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया। जन-साक्षरता, मूल-भूत सुविधाओं का अभाव, महिलाओं की समस्याओं, तथा बाल-शोषण आदि से संबंधित परिस्थितियों ने बड़ी संख्या में गैर-शासकीय संस्थाओं को इन क्षेत्रों में कार्य किये जाने हेतु, अपनी ओर आकृष्ट किया है। कुछ संस्थाओं, जिनके द्वारा पारम्परिक रूप से वैयक्तिक कार्य (Case Work) तथा समूह कार्य, समाज सेवा से संबद्धता जैसा कि वह विद्यालयों के प्रकरण में है, को मुख्य रीति के रूप में उनके अभ्यास में समाज कार्य के तत्वों को सम्मिलित किया जाना प्रारंभ कर दिया गया। विद्यालयों द्वारा समुदायों में कार्य किया जाना प्रारंभ कर दिया गया ताकि सामुदायिक उन्मुख मार्ग को अपनाया जा सके जो कि समस्याओं को हल करने में बच्चों हेतु बेहतर तौर पर सहायक हो। वर्तमान में विभिन्न संस्थानों में काफी बड़ी संख्या में समाज कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं जहां किसी समुदाय के साथ कार्य करने हेतु अवसर का अर्थ है किसी परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में एक निर्धारित जनसंख्या हेतु किसी लक्ष्य की प्राप्ति की जाना। समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए, भारत में सामुदायिक कार्य का स्वरूप मुख्यतः कल्याण-उन्मुख रहा है।

परिभाषा

किसी सामुदायिक संगठन के अभ्यास में संलग्न रहने के सामर्थ्य हेतु, एक सुस्पष्ट परिभाषा का होना अनिवार्य है। भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न परिभाषाएं सामने लाई गई हैं परन्तु इस में कुछ सामान्यताएं भी पाई गई हैं। सामान्यतः, इन परिभाषाओं में मुख्य रूप से चार भिन्न-भिन्न विचार प्रतिबिंबित होते हैं। ये निम्नानुसार हैं:

1) परस्पर सहयोग, सहकारिता तथा एकीकरण।

2) आवश्यकताओं की आपूर्ति से संबंधित तथा आवश्यकताओं तथा संसाधनों के बीच संतुलन लाये जाने संबंधी विचार।

3) यह विचार कि सामुदायिक संगठन कार्यक्रम संबंधों के साथ अभ्यास करता है जैसा कि इसे वैयक्तिक कार्य (Case Work) तथा समूह कार्य की प्रत्यक्ष सेवाओं से इसे विभेदित किया गया है।

4) सामुदायिक संगठन की वृहद दार्शनिक अवधारण जैसे कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा विशेषज्ञता के मध्य कार्यकारी संबंधों की प्रस्तुति।

क्रेमर तथा स्पेच के अनुसार सामुदायिक संगठन की परिभाषा एक संबद्धता की विधि है जिसमें एक व्यावसायिक परिवर्तन प्रतिनिधि, व्यक्तियों, समूहों अथवा संस्थाओं से युक्त सामुदायिक क्रियाप्रणाली एक नियोजित सामूहिक मूल्यों की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विशेष समस्याओं का सामना करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें प्रमुख रूप से दो परस्पर संबद्ध विषय सन्निहित हैं, (क) एक कार्य प्रणाली के साथ कार्य करने की परस्पर मेल-जोल की ऐसी प्रक्रिया, जिसमें सम्मिलित हैं सदस्यों के साथ चिन्हीकरण, भर्ती तथा कार्य करने की क्रिया तथा उनके मध्य संगठनात्मक परस्पर-वैयक्तिक संबंधों का विकास करना जिससे उनके प्रयासों को बल मिलता है; (ख) क्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु, समस्यायुक्त क्षेत्रों के चिन्हीकरण हेतु, कारणों के विश्लेषण, योजनाओं के प्रतिपादन, रणनीतियों को विकसित करने तथा संसाधनों को संगठित करने में सन्निहित तकनीकी कार्य।

एम.जी. रौस के अनुसार सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार एक समुदाय अपनी आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यों को चिन्हित करता है, इन आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों की प्राथमिकता का निर्धारण करता है, आत्मविश्वास को विकसित करता है, इन आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों की इच्छाशक्ति सामना करने हेतु संसाधनों (आन्तरिक अथवा बाह्य) की प्राप्ति करता है, उनके संबंध में उचित कार्यवाही करता है तथा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत समुदाय में सहकारिता तथा सहयोगात्मक अभ्यासों की मनोवृत्ति का विस्तार तथा विकास करता है।

सामुदायिक संगठन की परिभाषा तथा अवधारणा का विस्तृत स्वरूप

रौस की परिभाषा की पुर्नसंरचना करने से पूर्व हमें अन्तिम रूप से उनके इस तर्क की उपयोगिता के संबंध में यह विवेचना करनी होगी कि सामुदायिक संगठन एक निरन्तर सामाजिक प्रक्रिया है जो कि सामुदायिक संगठनकर्ता के नाम के अन्तर्गत इस बात की ओर ध्यान न देते हुए भी कि कोई एकल व्यक्ति इसे प्रभावित कर रहा है अथवा नहीं, जारी है। यह तथ्य इस परिभाषा को

समाजशास्त्रीय-विश्लेषक श्रेणी (Sociological-Analytical Category) में रखता है क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया को स्पष्ट किये जाने का प्रयास कर रहा है। दुर्भाग्य से, उसके ये बन्धन (कि किसी आवश्यकता को चिन्हित किया जाना चाहिए इसके पूर्व कि इसको हल किया जाए या इसकी आपूर्ति की जाए तथा केवल वे वृत्तियां जो समाज में उनके परस्पर सहयोग तथा सहकारिता के परिणामों की पहचान करती है, महत्वपूर्ण हैं) सामाजिक स्तर से व्यक्तिगत स्तर की ओर विश्लेषण का स्तर परिवर्तित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि धारा के मध्य में ही विश्लेषण के सामाजिक स्तर से व्यक्तिगत स्तर की ओर अन्तरण संबंधी यह परिभाषा यह भ्रान्ति पैदा करती है कि समाज वे वस्तुएं हैं जोकि विचार करती हैं।

इस तथ्य पर विचार करते हुए, गंगराड़े (2001) ने सामुदायिक संगठन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा समुदाय की सामाजिक प्रणाली समुदाय के अन्तर्गत, उसे एकीकरण तथा अनुकूलन (Integration and Adoption) प्रदान करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जोकि सामुदायिक संगठन के कार्य से असम्बद्ध निरन्तर जारी रहती है जिसका कार्य प्रक्रिया में पहल करना, उसे परिपोषित करना तथा उसे विकसित करना है। इस प्रक्रिया में सहभागिता हेतु, सामुदायिक संगठनकर्ता को सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप से संबंधित निश्चित मूल्यों तथा वे उपाय जिनके माध्यम से इन्हें क्रियान्वित किया जायेगा, पर ध्यान देना होगा।

यह परिभाषा सामुदायिक संगठनकर्ता के कार्यों के विवरण तैयार करने का मार्ग तैयार करती है जोकि सामाजिक संबंधों की गुणवत्ता तथा वांछित कार्यवाही के स्वरूप की ओर कुछ ध्यान देती है। यह परिभाषा सामुदायिक संगठनकर्ता के कार्य को तृतीय आयाम (Third Dimension) प्रदान करने पर ज़ोर देती है जो सामाजिक स्तर तथा इच्छित आदर्श के मध्य सही संतुलन की खोज में सहायक हो सकती है। सामुदायिक संगठन का निष्पादन लोकतांत्रिक प्रणाली अथवा निरंकुशता द्वारा किया जा सकता है। इन दोनों पहलुओं में, संसाधनों के साथ समाज कल्याण की आवश्यकताओं का समायोजन घटना (Phenomenon) के स्वरूप तथा सन्निहित उद्देश्यों के अनुसार निर्मित करना होता है।

समाज कार्य व्यवसाय में सामुदायिक कार्य का स्थान

सामुदायिक कार्य का समाज कार्य की दिशा में एक लम्बा इतिहास है। पश्चिमी परिवेश में, सामुदायिक देखभाल के बारे में सामुदायिक कार्य, समुदाय में देखभाल को प्रवर्तित करने के साथ-साथ सेवा उपयोगकर्ताओं तथा आजीविकाओं के नियोजन, अनुवीक्षण तथा उपभोक्ता की देखभाल संबंधी सेवाओं के मूल्यांकन में भाग लेने में योग्य बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सामुदायिक समाज कार्य, तथापि, समुदाय की देखभाल तक ही सीमित नहीं रहा है। समुदाय-आधारित समाज कार्य, कार्य प्रणाली की वृहद सीमा के अन्तर्गत प्रासंगिक रहा है तथा यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसके अन्तर्गत बच्चों तथा उनके परिवारों, युवाओं, बड़े-बूढ़ों आदि हेतु निवारण योग्य कार्य भी सम्मिलित हैं।

यद्यपि, समाज कार्य की दिशा में सामुदायिक कार्य की निरन्तर एक भूमिका है, तथापि, यह केवल सामुदायिक कार्य तक ही सीमित नहीं है। सामुदायिक कार्य अन्य व्यावसायिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विशिष्ट रहा है जोकि आज भी जारी है जिसमें गृह निर्माण तथा आयोजन भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, समुदायों के अन्तर्गत सामुदायिक कार्य का निष्पादन स्वयंसेवकों तथा अवैतनिक तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता रहा है, जो कि आज भी जारी है।

इस बारे में लम्बे समय से वाद-विवाद भी हुआ है कि समाज कार्य को क्या केवल व्यावसायिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए अथवा नहीं क्योंकि व्यावसायीकरण द्वारा सामुदायिक सक्रियता तथा स्वायत सामुदायिक आन्दोलनों को दुर्बल करने की संभावना का डर सदैव बना रहता है। अतः संक्षेप में, सामुदायिक कार्य केवल समाज कार्य व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है।

सामुदायिक कार्य.पद्धति हेतु वैकल्पिक दृष्टिकोण तथा निष्कर्ष

अब तक की गई चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि सामुदायिक कार्य स्पर्धात्मक दृष्टिकोणों तथा राजनैतिक परिदृश्य पर दोनों वामपंथी तथा दक्षिणपंथी विचारधाराओं पर आधारित किया जा सकता है तथा ऐसा हुआ भी है। सामुदायिक कार्य स्वयंसेवी समूहों तथा अनौपचारिक देखभाल को प्रोत्साहित किये जाने की दृष्टि

से कल्याण के बढ़ते हुए बाजारवाद के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी प्रावधान में कमी की क्षतिपूर्ति किये जाने हेतु प्रवर्तित किया गया है ताकि गरीबी तथा अत्याचार के प्रतिरोध से संबंधित रणनीतियों का समर्थन किया जा सके तथा सामुदायिक सहभागिता तथा, सशक्तिकरण को और इसे अधिक सुगमतर बनाया जा सके।

यह 'व्यावसायिक' दृष्टिकोण, एक 'सुधारवादी' मार्ग के माध्यम से, विद्यमान सामाजिक संबंधों की संरचना के अन्तर्गत स्वंय सहायता को प्रवर्तित करने तथा सेवा प्रदान करने को प्रोन्नत करने की अपेक्षा करता है। बाद में उल्लेखित यह 'सुधारवादी' मार्ग और आगे, विद्यमान संबंधों को अपेक्षाकृत शक्तिहीनों के सशक्तिकरण करने के माध्यम से, उन्हें वंचित करने के कारणों को जानने तथा उनके प्रचालन के स्त्रोतों को चुनौती देने संबंधी योगदान करने वाले कारकों को, नवीन मार्क्सवाद संरचना विश्लेषण के साथ-साथ नारीवाद परक सूक्ष्म दृष्टि तथा जाति विरोधी विश्लेषण किये जाने की अपेक्षा करता है (टवेल्वट्रीज, 1991)। यह इस प्रकार का मार्ग है जो अल्पसंख्यक जातिवादी (Ethnic) समुदायों का समर्थन करता है, उदाहरण के तौर पर, सेवा संबंधी प्रावधानों में असमानता तथा वह शक्ति जो कठोर वंचन (Sever Deprivation) की पृष्ठभूमि में है, की ओर ध्यान दिलाया जाना (पायने, 1995, पृ. 166)।

जबकि इन विशिष्टताओं में प्रासंगिकता है, वर्तमान परिवेश में व्यावसायिक तथा 'सुधारवादी (Radical)' शब्दों में अन्तर्निहित समस्याएं हैं, जैसा कि टवेल्वट्रीज द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वयं इसकी पहचान की है। विशेषकर, हाल ही के वर्षों में, शब्द 'सुधारवादी (Radical)' इसके 'सुधारवादी' अधिकार को अपनाएं जाने के उपरान्त काफी अधिक भ्रामक हो गया है। एक दृष्टिकोण को समझाए जाने के संबंध में शब्द 'व्यावसायिक' के उपयोग का अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि वैकल्पिक दृष्टिकोण एक प्रकार से 'गैर-व्यावसायिक (Non-Professional) अथवा 'अ-व्यावसायिक (Unprofessional)' तक परिसीमित है (यद्यपि इसे वास्तविक तौर पर, टवेल्वट्रीज द्वारा स्वयं सुझाया नहीं गया था)। यह मानते हुए कि सामुदायिक कार्य में व्यावसायिक मूल्य, ज्ञान तथा कौशल का होना अत्यावश्यक है, जो भी दृष्टिकोण प्रश्नधीन हो, यह सुझाव दिया गया है कि एक ओर 'तकनीकीकरण की विशेषज्ञ की सोच में सामुदायिक कार्य दृष्टिकोण तथा

दूसरी ओर 'परिवर्तनकारी' दृष्टिकोण, जो सामुदायिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक परिवर्तन पर अधिक जोर देता है, को श्रेणीबद्ध किया जाना कम भ्रामक होगा (मेओ, 1994, बी)।

इस दो वृहद प्रकार के सामुदायिक कार्य दृष्टिकोण को और आगे भी कई भागों में विभाजित किया गया है तथा इसे सामुदायिक कार्य अभ्यास के विभिन्न प्रकारों तथा स्तरों से सम्बद्ध किया गया है। उदाहरण के तौर पर, डोमीनेली ने सामुदायिक कार्य के पारम्परिक 'तटस्थ (Neutral)' विचारों को इस प्रकार विशिष्टता प्रदान की है जिनकी तुलना, तकनीकी विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से की जा सकती है। उनके द्वारा अपने विचारों को उनकी अवधारणाओं के अनुरूप इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि 'प्रणाली' मूल रूप से सुव्यवस्थित है, तथापि, समाज कार्य प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तिगत तथा सामुदायिक व्याधियों के, निवारण किये जाने की आवश्यकता है; बिड्डल तथा बिड्डल की टिप्पणियों को उद्धरित करते हुए, उनका कथन है कि दृष्टिकोण को निदर्शित किये जाने की दृष्टि से उत्कृष्ट कृति के रूप में निर्धन तथा पीड़ितों (Alienated) द्वारा उनके स्वयं की पहल से इसे संस्थापित कर अपनी आन्तरिक बाधा को दूर किया जाना चाहिए (डेमिनेली 1990, प. 8)।

तालिका: सामुदायिक कार्य के दो दृष्टिकोण

दृष्टिकोण	उद्देश्य / अवधारणाएं
'व्यावसायिक (Professional)'	सामुदायिक पहल को प्रोत्साहित करना, स्व-सहायता को सम्मिलित करते हुए
'पारम्परिक (Traditional)'	सेवाओं को प्रदान करने में सुधार लाना
'तटस्थ (Neutral)'	*(विद्यमान सार्वजनिक संबंधों की संरचना के अन्तर्गत)*
'तकनीकी (Technist)'	
'सुधारवादी (Radical)'	सामुदायिक पहल को प्रोत्साहित करना, सेवाओं को
'परिवर्तनवादी (Transformational)'	प्रदान करने में सुधार लाना तथा इन्हें इस ढंग से निष्पादित करना जो समुदायों

को वंचन तथा भेदभाव के मूल कारणों हेतु चुनौती प्रदान करें तथा सामाजिक परिवर्तन के लिये रणनीतियों को विकसित करे तथा मैत्री-संबंधों की निर्मिति करें। *(वृहद रणनीतियों के अन्तर्गत दमनकारी, भेदभावपूर्ण, शोषणयुक्त सामाजिक संबंधों के एक भाग के रूप में)*

सामुदायिक विकास तथा सामुदायिक संगठन

उद्देश्य

सामुदायिक विकास तथा सामुदायिक संगठन के मध्य एक संयुक्त दार्शनिक आधार है। दोनों का उद्देश्य जन-सामान्य को एक सुखी तथा पूर्ण विकसित जीवन जीने हेतु समर्थ बनाना है। दोनों का समाज की संरचना के अन्तर्गत सामान्य जन में तथा उनके आत्म-निर्धारण (Self-Determination) के अधिकार पर बुनियादी विश्वास है। दोनों स्वयं-सेवा तथा लोगों को उनकी समस्याओं को हल करने में स्वयं सहायता देने पर बराबर बल देते हैं। सामुदायिक संगठनकर्ता तथा सामुदायिक विकास कार्यकर्ता, दोनों, इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अभिकर्ताओं (एजेंट) के रूप में कार्य करते हैं।

इन समानताओं के बावजूद, सामुदायिक विकास तथा सामुदायिक संगठन को एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं माना जाना चाहिए। ये दोनों अतिच्छादी (Over-lap) अवश्य हैं। सामुदायिक विकास पर जीवन के समस्त पहलुओं, जिनमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलू सम्मिलित हैं, के प्रवर्तन के साथ विचार किया जाता है; जबकि सामुदायिक संगठन शहरों, राज्यों तथा राष्ट्र के साथ-साथ ग्रामों में समाज-कल्याण की आवश्यकताओं तथा संसाधनों के समायोजन से संबद्ध होते हैं।

विभेद

सामुदायिक संगठन जैसा कि इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोग किया जाता है, अधिकांशतः स्वैच्छिक आधार पर होता है तथापि, अल्प विकसित देशों में इसे शासन द्वारा प्रवर्तित किया जाता है।

सामुदायिक संगठन मूल रूप से शहरीकरण तथा औद्योगीकरण की देन है। अति उच्च औद्योगिक समाज में, सामुदायिक संगठन वृहद रूप से जनसंख्या की गतिशीलता संबंधी समस्याओं, पारिवारिक समस्याओं, बड़े-बूढ़ों की समस्याओं, बाल-अपराध संबंधी समस्याओं, बेरोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा से संबद्ध होता है। इन सब के विपरीत, अल्प विकसित देशों में सामुदायिक विकास की मुख्य प्रतिबद्धता इस तथ्य में होती है कि सामान्य-जन को किस प्रकार उनकी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं, जैसे कि खाद्य, आश्रय तथा वस्त्रों की आपूर्ति हेतु उत्प्रेरित करना है तथा किस प्रकार उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है।

सामुदायिक संगठन अधिकांशतः किसी शहरी समाज की समस्याओं के निराकरण हेतु नवीन समाज कल्याण अभिकरणों (एजेन्सी) अथवा संस्थाओं को प्रारंभ करने अथवा विकास करने से संबद्ध होता है। जबकि दूसरी ओर, सामुदायिक विकास का संबंध सामाजिक परिवर्तनों हेतु प्रेरणा प्रदान करना है; तथा इस प्रकार पारम्परिक समाजों में सामाजिक परिवर्तन लाने में यह एक शक्तिशाली साधन बन जाता है।

सामुदायिक संगठन का झुकाव प्रक्रिया-परक (Process-oriented) होता है जबकि सामुदायिक विकास जैसा कि इसका प्रयोग भारत में किया जाता है का झुकाव लक्ष्य-परक (target-oriented) होता है तथा प्रशासकों को निर्धारित समय के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उनकी उत्सुकता के दृष्टिगत प्रायः यह परियोजना में जन-सामान्य को सन्निहित करने की प्रक्रिया, तथा अनिवार्य आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है।

सामुदायिक कार्य का महत्व

समाज कार्य ने व्यक्तियों, समूहों तथा समुदाय के साथ अभ्यास हेतु विशेष ज्ञान तथा कौशल विकसित किया है जिसे कि सुविधानुसार सामुदायिक विकास में प्रयुक्त किया जा सकता है। चार्ल्स आई. स्कॉटलैंड द्वारा यहां उल्लेखित लेख "Community Development: A Challenge to the Social Worker" अर्थात् सामुदायिक विकासः समाज कार्यकर्ता को चुनौती" में इस बात पर बल दिया है कि समाज कार्यकर्ता को सामुदायिक विकास की प्रक्रिया में असाधारण योगदान करना होता है। उनके द्वारा इस तथ्य पर जोर दिया है कि जन-सामान्य के लिये समाज कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व अन्य समस्त व्यवसायों से बिलकुल अलग हैं।

समाज कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व मानवीय आचरण की गतिशीलता की समझ पर निर्भर करता है ; एक समाज कार्यकर्ता इसके कारणों को चिन्हित करने में अथक परिश्रम करता है। समाज कार्यकर्ता में वे वांछित उद्देश्य जोकि स्वयं लोगों द्वारा चिन्हित किये गये हैं, की प्राप्ति हेतु जन-सामान्य को उनकी क्षमताओं का उपयोग करने के बारे में प्रेरित किये जाने की विशेष निपुणता होती है। उसका ज्ञान तथा निपुणता, विशेषकर सामुदायिक संगठन प्रक्रिया में, व्यक्तियों तथा समूहों के साथ कार्य करने हेतु उसकी निपुणता का एकीकृत भाग होते हैं। उसके द्वारा विशिष्ट कुशलता के माध्यम से विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं तथा समस्याओं से संबंधित एक कौशल का विकास किया गया हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते है तथा उक्त व्यक्ति को उसके स्वयं के तथा समुदाय के संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने हेतु उपयोग करने के समर्थ बनाते हैं।

इसके अतिरिक्त, समाज कार्य में, सामूहिक कार्य तथा मनोरंजन के रूप में विद्यमान निपुणताएं सामुदायिक विकास में उल्लेखनीय योगदान प्रदान कर सकती हैं। ये निपुणताएं महिलाओं तथा नवयुवकों के योगदान के सूचीकरण में उन्हें कुछ सामुदायिक उत्तरदायित्व लेने में एक कदम के रूप में सामूहिक गतिविधि में सन्तुष्टि पाने में सहायता प्रदान करेंगी।

एक अन्य क्षेत्र जहां सामुदायिक संगठन अपना योगदान प्रदान कर सकता है, वह प्रशासन से संबंधित है। सामुदायिक विकास में सुस्थित संगठनात्मक संरचना सन्निहित है जिसके माध्यम से कार्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है तथा सामुदायिक विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। समाज कल्याण में प्रशिक्षित सामुदायिक संगठनकर्ता सामुदायिक विकास को विकसित करने हेतु लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को प्रयोग में लाने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार, समाज कार्य में सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया, सामुदायिक विकास से काफी निकटता से संबद्ध प्रतीत होती है। समाज कार्य का विकास, तथ्यों की खोज, सामुदायिक सर्वेक्षण, विश्लेषण, सम्मेलन-कौशल का नियोजन, सामुदायिक प्रचालन, परामर्श तथा समझौता, व्याख्या करना, परियोजना-प्रशासन तथा अभिलेखन समस्त ऐसे तत्व हैं जो कि सामुदायिक संगठन तथा सामुदायिक विकास के लिये प्रजातीय होते हैं।

प्रयोग के क्षेत्र

सार्वजनिक कल्याण अभिकरण, सामुदायिक संगठन विधि का उपयोग दोनों राष्ट्रीय तथा प्रदेश स्तरों पर करते हैं। इनके द्वारा नियोजन कभी भी सामान्य-जन स्तर पर प्रारंभ नहीं होता। निर्माण कार्य, निधि का आवंटन, कार्यक्रमों तथा योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना, योजनाओं के प्रतिपादन को प्रोत्साहित करना तथा उनका पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन करना, आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि सामुदायिक व्यवसायियों द्वारा (अर्थात्, व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं द्वारा) निष्पादित किये जाते हैं। विशिष्ट समस्याओं अथवा संबधित क्षेत्रों के सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रहण, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा उनका प्रचार-प्रसार तथा संदर्भ सामग्री को संकलित करना, आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सामुदायिक व्यवसायी काफी सक्रिय रहते हैं। वे पर्यावरणीय परिवर्तन में नये विधान को लाने की पहल करते हैं अथवा सुविधा-विहीन अथवा निशक्त व्यक्तियों हेतु राहत प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं। इन सबकी तैयारी में, राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है जोकि विभिन्न विषयों पर वाद-विवाद हेतु सार्वजनिक मंचों के रूप में कार्य करते हैं।

जैसे-जैसे स्वयंसेवी सामाजिक कल्याण संस्थाएं, बढ़ती हैं तथा और अधिक विकसित होती हैं, इन्हें सामुदायिक संगठनकर्ताओं द्वारा इन्हें परिपोषित किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित भी होती है। भारत में ऐसे कई निकाय स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तर पर कार्यरत हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड तथा मैदानी पदाधिकारियों के माध्यम से स्थानीय नेतृत्व को उनके स्वयं के कल्याण से संबंधित कुछ आवश्यकताओं को अभ्यास करने में सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद (Indian Council of Social Welfare), भारत स्थित सामाजिक स्वास्थ्य संघ, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, आदि कुछ प्रवर्तक तथा समन्वयक निकाय हैं। वे अपने कार्यक्रमों का संचालन प्रायः स्वयं ही करते है क्योंकि निधि केवल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ही उपलब्ध कराई जाती है जबकि वित्तीय व्यवस्था करते समय नियोजन, पर्यवेक्षण तथा समन्वयन हेतु आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया जाता है।

चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता अथवा दिल्ली के कई सुविधा-विहीन शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के निवासियों के मध्य कार्य की प्रगति व्यावसायिक समाज

कार्यकर्ताओं के बजाय युवा सक्रिय कार्यकर्ताओं की सहायता से हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में व्यावसायिक कार्यकर्ता प्रायः विकास-उन्मुख होते हैं जबकि सक्रिय कार्यकर्ता सामाजिक-राजनैतिक विश्लेषण का उपयोग मुद्दों को उठाने तथा जन-सामान्य को संगठित करने में करते हैं, जिसके फलस्वरूप कई बार परिस्थितियां उनकी प्राधिकारियों के साथ अप्रिय वाद-विवाद के रूप में समक्ष आती हैं। इन क्षेत्रों में प्रायः जन-सामान्य संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है जिसके कारण प्रौढ़ व्यावहारिक तथा उपयोगी प्रकार से शिक्षित होते हैं तथा समुदाय नगरपालिका सेवाओं के सुधार हेतु प्राधिकारियों से भी वार्तालाप करता है।

शहरी विकास के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, आस-पड़ोस के समुदायों को प्रोत्साहित करने हेतु कई शहरों द्वारा नागरिक परिषदों का गठन किया गया है। दिल्ली, बड़ोदरा तथा अहमदाबाद शहरों में भी ऐसे कई प्रयास किये गये हैं। मुम्बई, बंगलूर तथा कोलकाता के कई भागों में भी व्यवस्थापन भवनों (Settlement Houses) के समकक्ष सामुदायिक केन्द्र पड़ोसवर्ती क्षेत्रों में सेवारत पाये जाते हैं।

ग्रामीण समुदायों में भी, कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में भी जागरुकता आ रही है। समर्पित प्रचारक (मिशनरी) संस्थाओं तथा समाज-सेवकों द्वारा भी प्रारंभिक तौर पर ग्रामोत्थान से संबंधित प्रयास किये गये। बाद में महात्मा गॉधी द्वारा प्रेरित कई भारतीय वृहद तथा न्यून स्तर पर पुनर्निर्माण हेतु प्रोत्साहित हुए तथा कई लोगों द्वारा तो अपना सम्पूर्ण जीवन भी इस कार्य को समर्पित कर दिया गया है।

वर्तमान में, स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय निकायों के तत्वाधान में, किरायेदार, (tenants), अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों, भूमिहीन मजदूरों, किसानों तथा मछुआरों के वर्ग परस्पर संगठित होकर उनके स्वयं के विकास हेतु तथा शासकीय संसाधनों के एक अंशदान की प्राप्ति द्वारा कार्य सम्पादित किये गये हैं। सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त युवा प्रोत्साहक, वे परिस्थितियों जिनके अन्तर्गत सामान्य-जन स्वयं को पाते हैं, का सामाजिक-राजनैतिक विश्लेषण कर स्वयं को उनमें संलग्न करते हैं; जागरुकता निर्माण 'आत्मनिष्ठा' के माध्यम से, सक्रिय कार्यकर्ता शनैः-शनैः, परन्तु धैर्यपूर्वक उनका स्वयं का विकास भी करते हैं। ये सक्रिय कार्यकर्ता सामुदायिक कल्याण का प्रयोग विकास-उन्मुख होने की दिशा में करते हैं।

भारत में भी विभिन्न आन्दोलन (जैसे कि सती-प्रथा का उन्मूलन), स्वतंत्रता हेतु संघर्ष तथा हाल ही में संचालित किया गया महिलाओं को संगठित करने संबंधी आन्दोलन, जैसे कि 'सेवा (SEWA)' ने न केवल मजदूर संगठन विधियों के प्रयोग तथा सामुदायिक संगठन कौशल द्वारा महिलाओं को संगठित किया है वरन् उनके अर्थिक स्तर को उन्नत किये जाने हेतु भी समर्थ बनाया है। उनके द्वारा सर्वेक्षण, अध्ययन तथा प्रकाशित सामग्री का उपयोग ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को राष्ट्र तथा विश्व के सम्मुख लाने में किया गया है। जिन व्यक्तियों के पास आय उत्पादक कार्यक्रमों के नियोजन तथा कार्यान्वयन हेतु व्यावसायिक उन्मुखता विद्यमान है, सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं को रोजगार प्रदान किये जाने के संबंध में ऐसे लघु प्रयास भी किये जाते हैं।

भारत के समुद्रीतट के किनारे निवास करने वाला मछुआरा वर्ग, यन्त्रों से सुसज्जित मछुआरों (Trawler Fishermen) तथा बड़े व्यापारिक घरानों के विरुद्ध उत्तरजीविता (Survival) का संघर्ष कर रहे हैं। मछुआरा वर्ग की महिलाओं ने भी फेक्टरी निर्माण, जो उन्हें बेरोजगार कर देगा, के विरुद्ध स्वयं को संगठित कर लिया है। परन्तु विडम्बना यही है कि उच्च कोटि की आशाएं तो की जाती हैं परन्तु वांछित लक्ष्यों की सदैव प्राप्ति नहीं हो पाती। यद्यपि, इसमें लघु प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। परन्तु इसमें दुविधा यही है कि परिणामों में बहुधा हताशाएं ही सामने आती हैं। परन्तु फिर भी इस प्रक्रिया द्वारा सामान्यजन अपनी शक्ति का स्वाद चखते हैं तथा विफलताओं को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं।

भविष्य की संभावनाएं

भारत में, समाज कार्य विद्यालयों में, स्नातकोत्तर स्तर पर, व्यावसायिक समाज कार्य प्रारंभ हुआ। वर्तमान में, कुछ विश्वविद्यालय स्नातक स्तर पर ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करते है; यद्यपि, अधिकांश प्रकरणों में व्यावहारिक प्रशिक्षण अपर्याप्त होता है तथा संकाय में क्षेत्र कार्य अनुभव का अभाव होता है।

सामुदायिक कार्य में स्वयं को संलग्न किये जाने में लोगो के जीवन में प्रवेश करने के साथ-साथ सशक्त शरीर तथा बुद्धि एवं वस्तुनिष्ठ रहने की योग्यता रखे जाने की आवश्यकता भी होती है। यह प्रक्रिया काफी जटिल है तथा कई बार

इसमें भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। भारत में, मैट्रिकोत्तर स्तर के युवक तथा युवतियां किसी सामुदायिक कार्यकर्ता के कई कार्य, जिनमें समुदाय को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष सेवाएं भी सम्मिलित हैं, का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे प्रकरणों में, शैक्षणिक योग्यताओं का अन्तर न्यून होने के कारण, उनके लिये अपने पक्षकारों से संवाद संवहन करना काफी सरल होता है। तथापि, इस स्तर के शिक्षित व्यक्ति, जो समस्त परिस्थितियों में कठिन परिश्रम द्वारा लचीली तथा परिस्थिति के अनुकूल स्वयं को आसानी से ढाल लेते हैं, शीघ्र ही उपलब्ध हो जाते हैं। वे युवा होते है, अतएव वे कठिन परिश्रम हेतु लचीले तथा समस्त परिस्थितियों में स्वयं को आसानी से ढाल लेने वाले होते हैं। वे स्वयं को समुदाय के साथ अधिक सरलता से आत्मसात कर लेते हैं। वे संस्था के बजट पर कम वित्तीय भार डालने वाले होते हैं। फिर भी, उनका युवा होना समुदाय को उनके प्रति शंकास्पद परिस्थितियां निर्मित करता है। अतः वयस्कों के साथ उनका कार्य करना कई बार काफी कठिन होता है। यदि उनमें स्वयं के जीवन में अच्छा कार्य करने की महत्वाकांक्षा हो तो वे आकाश की ओर गतिशीलता की अपेक्षा करते हैं तथा वे उस समुदाय के अन्दर खो जाते हैं जिसने उनके लिये प्रशिक्षण स्थल के रूप में सेवा प्रदान की थी।

परन्तु, यदि भारत के ग्रामों तथा मलिन क्षेत्रों के निर्धनों को प्रभावी रूप से सहायक होना है तो हजारों कि संख्या में प्रोत्साहकों (Animators) तथा अभिप्रेरकों (Motivators) की आवश्यकता होगी। इसमें से काफी बड़ी संख्या में स्वयं लोगों के बीच से आएंगे ताकि वे इन लोगों के लिये स्वीकार्य हों। अतः समाज सेवा में प्रथम चिन्ता स्वदेशी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किये जाने की होनी चाहिए जोकि इनके कार्यों में से कई कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, तथा इसके निष्पादन हेतु कौशल विकसित कर सकते हैं। विभिन्न स्तरों पर समाज कार्य शिक्षा के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करना होगा ताकि स्नातकोत्तर शिक्षा, अनुभवी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सके ताकि वे व्यक्ति बाद में पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण तथा प्रशासकीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें। अन्यथा, व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं को निर्धनों तथा अलाभकारी परिस्थितियों को वहन करने वालों की पुकार पर सेवा की मुख्य धारा में प्रवेश कर पाना कठिन होगा।

स्थानीय स्तर के साथ-साथ क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर भी चलित दल के दृष्टिकोण (Mobile team approach) को भारत में स्वीकार किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, कृषि, गृह विज्ञान अथवा अर्न्तवर्ती (Intermediate) प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों के दल एक स्थान से दूसरे की ओर भ्रमण करते हैं ताकि वे दूरवर्ती क्षेत्रों में लोगों तक पहुंच कर उन्हें प्रेरित, शिक्षित तथा संगठित कर सकें। एक सामुदायिक संगठक अपनी मानवीय संबंधों की विशेषज्ञता के साथ, भारत के दूर-दराज क्षेत्रों में भी कठिन परिस्थितियों में उन्हें नेतृत्व प्रदान कर भी दल को एक साथ रख सकता है। केवल इसी प्रकार के कार्यक्रम, जिनका क्रियान्वयन किया जा सके, ही एक व्यवसायी हेतु वास्तविक चुनौती हैं तथा ये भारतवासियों के हृदय को छू सकते हैं तथा उनके जीवन में सुधार ला सकते हैं।

ग्रामों तथा मलिन बस्ती में आवासीय (Live-in) दृष्टिकोण का प्रतिपादन समाज कार्य में एक नवीन रुझान है। भारतवर्ष की अधिकांश जनता, यद्यपि, बुद्धिमान है तथापि वे अनभिज्ञ हैं तथा परम्पराओं से बंधें हुए हैं उनकी संस्कृति, उनकी जाति, धर्म अथवा क्षेत्र के कारण काफी विलक्षण हैं। उन्हें परखने तथा सूक्ष्मतः से उनका अध्ययन किये जाने हेतु विशाल प्रयासों की आवश्यकता होती है। मानव विज्ञानियों द्वारा अक्सर आवासीय (Live-in) दृष्टिकोण लोगों के जीवन के अध्ययन हेतु, अपनाया जाता है। इस दृष्टिकोण को अपनाएं जाने हेतु समाज-सेवक ऐसे लोगों को साथ में लेता है जो निश्छल भाव से समर्पित हों तथा निश्छल समर्पण भाव से आवासीय व्यवस्था में रहने हेतु सक्षम हों तथा स्वयं को उनके साथ चिन्हित कर सकें तथा उनमें उनकी स्वयं की प्रेरणा द्वारा उनमें सुधार ला सकें।

राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय (दोनों क्रिया, अनुसंधान तथा सेवा अनुस्थापित) तथा विश्वविद्यालय के विभाग उनकी विस्तार सेवाओं के माध्यम से, परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रवर्तकों को दूर-दराज ग्रामों में सहायता प्रदान किये जाने हेतु पहुंचते हैं तथा शासकीय अथवा दान-दाता संस्थाओं को वित्तीय व्यवस्था हेतु प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों पर संभावना संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन (Feasibilty Report) तैयार करते हैं। सामुदायिक संगठन संबंधी कौशल तथा विधियों का प्रयोग करते हुए, वे प्रवर्तकों अथवा आम-जन के संगठनों को परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने, नियोजित करने, कार्यान्वयन करने तथा मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये संस्थाएं प्रायः मार्गदर्शक उद्यमों का

क्रियान्वयन स्वयं अपने हाथों में लेती हैं जो अन्य संस्थाओं को उसे अनुसरण करने में एक आदर्श के रूप में निर्वहन करती हैं। व्यावसायी जो इन उद्यमों हेतु कार्य करते हैं उनसे सृजन तथा नेतृत्व की भावना को रखने की अपेक्षा की जाती है।

सामुदायिक संगठकों द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रचार-प्रसार के माध्यम से वास्तविक तौर पर परिपोषित नहीं किया गया है। न्यून लागत संप्रेषण एक बहुत वृहद क्षेत्र है जहां सामुदायिक संगठनकर्ता को दृश्य साधनों को चिन्हित करना सीखना हो तथा उसका उपयोग एवं निरन्तर बदलती हुई आवश्यकताओं के नवीनीकरण करने हेतु कौशल विकसित करना होता है।

सारांश

सामुदायिक कार्य समाज कार्य की प्रमुख विधियों में से एक है। यह एक समूह-आन्तरिक प्रक्रिया है जो समुदायों को विद्यमान सामाजिक समस्याओं को समझने में सहायता करती है तथा उपलब्ध सामुदायिक संसाधनों को समस्याओं के समाधान में उपयोग करती है जिसके द्वारा सम्पूर्ण समुदाय सुदृढ़ होगा तथा अन्य सदस्यों का जीवन समृद्ध होगा। सामुदायिक कार्य समाज-सेवा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नवीन प्रहार है तथा एक ऐसा कार्य है जिसमें सामाजिक समस्याओं के निराकरण करने तथा उनके निदान की संभावनाएं विद्यमान हैं। वर्ष-दर-वर्ष, सामुदायिक कार्य काफी अधिक व्यावसायिक हो गया है तथा विभिन्न प्रकार के स्थापनाओं में प्रयोग हो रहा है। एम.एस.डब्लू. द्वितीय वर्ष में आपको सामुदायिक संगठन के विशिष्ट निमित्तिओं (Specialization Courses) के बारे में बताया जाएगा।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

- गंगराड़े, के. डी. (2001): वर्किंग विथ कम्यूनिटी एट दी ग्रासरुट लेवलः स्ट्रेटेजीज एण्ड प्रोग्राम्स, नई दिल्ली, राधा पब्लिशर्स.
- आर्थर डनहम (1958): कम्यूनिटी वेल्फेयर आर्गेनाईजेशनः प्रिन्सीपल्स एण्ड प्रेक्टिस, न्यूयार्कः थॉमस वाई. क्रोवेल एण्ड कम्पनी.
- टेलिस-नाया, जेबी (1987): कम्यूनिटी आर्गेनाईजेशन इन एन्साईक्लोपिडीया ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया, नई दिल्ली, पब्लिकेशन डिवीजन, भारत सरकार.

- मेयो मारजोरी (1998): कम्यूनिटी वर्क इन सोशल वर्कः थीम्स, इश्यूस एण्ड क्रिटीकल डिबेट एडिटिड बाई एडम्स. आर, डॉमिनेली, एल एण्ड पायने, एम. लंदनः मेकमिलन.
- रॉस, मुर्रे. जी एण्ड लैपिन, बी. डब्लू (1967): कम्यूनिटी आर्गेनाईजेशनः थ्यूरी, प्रिन्सीपल्स एण्ड प्रेक्टिस। न्यूयार्कः हार्थर रौव तथा टोकयोंः जॉन वैदरहिल इन्स द्वारा संयुक्त रुप से प्रकाशित
- सिद्दीकी एच.वाई (1999): कम्यूनिटी वर्क, नई दिल्लीः हीरा पब्लिशर्स .
- स्किडमोरे आर.ए,.ठाकरे एमजी एण्ड फार्ले, ओएम (1994): इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, न्यूजर्सीः प्रेन्टिस हॉल.
- बाल्डोक, पीटर (1974): कम्यूनिटी वर्क एण्ड सोशल वर्क, बोस्टनः राऊटलैज एण्ड केगन पॉल लिमिटेड.
- आईफ, जिम (1995): कम्यूनिटी डेवलपमेंटः क्रिएटिंग कम्यूनिटी आल्टरनेटिव्स - विजन, अनेलिसिस एण्ड प्रेक्टिस, मेलबोर्नः लांगमेन.
- क्रेग, डब्लू (1987): ए कम्यूनिटी वर्क पर्सप्रेक्टिव, मेसी यूनिवर्सिटी, पालमर स्टान, नार्थ एन जैड.